दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-1

(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)

वृहस्पतिवार, 18 जुलाई, 2002/आषाढ़ 27, 1924(शक)

संख्या:85

1. 2.00 बजे **<u>प्रश्न काल :</u>**

तारांकित प्रश्न संख्या 61 से 63,66-68 और 70 से 72 पूछे गए और उनके मौखिक उत्तर दिये गए। तारांकित प्रश्न संख्या 64,65,69 तथा 73 से 80 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 119 से 162 के उत्तर सदन पटल पर रखे गए।

2. 3.08 बजे **<u>विशेष उल्लेख (नियम-287)</u>**

निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 287 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाए :-

1. श्री सुरेन्द्र कुमार (ऊर्जा मंत्री ने हस्तक्षेप किया ।)

3.16 बजे (डॉ. जगदीश मुखी और अन्य विपक्षी सदस्यों ने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में जानना चाहा । अध्यक्ष महोदय ने बताया कि मामला मेरे अधिकार क्षेत्र में है,तथापि ,उन्होंने गृह विभाग से इस मामले पर टिप्पणी मांगी हैं,जो अभी आनी है । संतुष्ट न होने पर विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया ।)

(विपक्षी सदस्य जिन्होंने सदन से बहिर्गमन किया था,सदन में वापस आ गये)

3.18 बजे **विशेष उल्लेख जारी----------**

2. श्री राम सिंह नेताजी

3.श्री महाबल मिश्रा

4.श्री मोहन सिंह बिष्ट

5. श्री अरविन्दर सिंह लवली

(स्वास्थ्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया ।)

6. डॉ. हर्षवर्द्धन

(स्वास्थ्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया ।)

7. श्री भीष्म शर्मा

(स्वास्थ्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया ।)

8.श्री महेन्द्र यादव

9.श्री वीर सिंह

(स्वास्थ्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया ।)

10.श्री रूप चन्द

(समाज कल्याण मंत्री ने हस्तक्षेप किया ।)

3. 3.50 बजे **प्रस्ताव**

श्री हरशरण सिंह बल्ली ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया कि :

यह सदन दिनांक 16 जुलाई,2002 को सदन में प्रस्तुत नियम समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमत है ।

प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

3.51 बजे **नियम 107 के अंतर्गत प्रस्ताव**

4.

श्रीमती अजंली राय निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :

यह सदन सिफारिश करता है कि -

- दिल्ली में देह व्यापार में कम उम्र की लड़कियों के व्यापार को रोकने
- देह व्यापार में लिप्त महिलाओं को उचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने और ऐडस तथा शारीरिक संबंधों से फैलने वाली बीमारियों की जांच करने
- उनके मानव अधिकारों की रक्षा करने,
- जबरदस्ती एवं हिंसा से रक्षा करने,
- उनके बच्चों के लिये उचित स्वास्थ्य,शिक्षा,आवास एवं भोजन की सुविधाएं उपलब्ध करवाने,
- छुड़ाई गई कम उम्र की लड़कियों के पुनरुद्धार,पुनःस्थापन और पुनर्वास की तेजी से व्यवस्था करने,
- आय के वैकल्पिक स्रोत के उददेश्य से प्रोत्साहन देने के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने,
- इस व्यवसाय में वृद्ध एवं सेवानिवृत्त हो जाने वालों के लिये ऋण और पेंशन प्रदान करने,

उपर्युक्त उल्लिखित् के पुर्ण अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कारगर कदम उठाए जाने चाहिए।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्रीमती किरण वालिया

समाज कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

4.19 बजे **सदन जलपान के लिये स्थगित हुआ ।**

4.53बजे **सदन पुनः समवेत हुआ।**

मुख्य मंत्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत भूमिहीन लोगों को वैकल्पिक भूमि आबंटित करने के संबंध में एक संकल्प प्रस्तुत किया । यह सदन सिफारिश करता है कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आवासीय भूखंडों एवं कृषि भूमि के आबंटन से संबंधित लंबे समय से लंबित पड़े मामले की तह तक पहुंचने और उपाय सुझाने हेतु, उनको अधिकार स्वामित्व देने और भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान

उनके अधिकारों की सुरक्षा करने, भूमि की चकबंदी करने,दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा- 81 के अंतर्गत भूमि उपलब्ध करने, आबादी के विस्तार/लाल डोरा सहित दिल्ली में भूमि धरों की चकबंदी करने तथा अन्य संबंधित मामलों के संबंध में सदन की सात सदस्यीय समिति का गठन किया जाये ।

प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।

5. **4.55 बजे** **अल्पकालिक चर्चा**

श्री शीश पाल ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर **अल्पकालिक चर्चा** प्रारम्भ की :-

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. कंवर करण सिंह
2. श्री नन्द किशोर गर्ग
3. श्री रूप चन्द
4. श्री राधेश्याम खन्ना
5. श्री सुशील चौधरी
6. श्री नसीब सिंह
7. श्री अमरीश गौतम
8. श्री साहब सिंह चौहान

शहरी विकास मंत्री ने चर्चा का जवाब दिया और निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :-

यह सदन सिफारिश करता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण को तुरन्त प्रभाव से दिल्ली सरकार में स्थानांतरित कर दिया जाये ।

). श्री नन्द किशोर गर्ग ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :-

. कि यह सदन सिफारिश करता है के बाद दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बाद शब्दों को जोड़ा जाये ।

2. संशोधन को मतदान के लिये लिया गया और अस्वीकार किया गया ।
शहरी वकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प को मतदान के लिये रखा गया और सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।

6.22 बजे सदन 19 जुलाई,2002 को अपराहन 2.00 बजे तक के लिये स्थगित हुआ ।

दिल्ली,
18.7.2002

एस.के.शर्मा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
BULLETIN PART – I
(Brief record of proceedings)
Wednesday, 18th July, 2002/ Aashada 27, 1924 (Saka)

No.85

1 **2.00 PM** **Question Hour:**
Starred Questions 61-63, 66-68, 70-72 were asked and replied. Replies to Starred Questions 64,65,69, 73-80 (except 75) andUnstarred Questions 119- 162 (except 128) were laid on the Table.

2 **3.08 PM** **SPECIAL MENTIONS (Rule 287)**
The following Members made Special Mentions under Rule 287:
1. Shri Surender Kumar (Minister of Power intervened)

3.16 PM (Dr. Jagdish Mukhi and other Members of the opposition party sought to know the fate of their notice for call attention motion. The Chair stated the entire matter fell entirely in his discretion and moreover, the comments of the Home Department on the issue, which he has called for were still awaited. Not satisfied the members of the opposition staged a walk out.)
(The opposition Members, who had walked out, returned.)

3.18 PM Further Special Mentions were made by the following Members:

2. Shri Ram Singh Netaji
3. Shri Mala Ram Gangwal
4. Shri Mohan Singh Bisht
5. Shri Arvinder Singh Lovely (Minister of Health intervened)
6. Dr. Harshvardhan (Minister of Health intervened)
7. Shri Bheeshm Sharma (Minister of Health intervened)
8. Shri Mahender Yadav
9. Shri Veer Singh (Minister of Health intervened)
10. Shri Roop Chand (Minister of Education intervened)

3 **3.50 PM** **Adoption of Report:**
Shri Harsharan Singh Balli moved the following motion:
"that this House agrees to the Second Report of the Rules Committee presented to the House on 16th July'2002."
The Motion was put to vote and adopted unanimously.

4 **3.51 PM** **Motion Under Rule 107:**
Smt. Anjali Rai moved the following Motion:
"This House recommends that with a view to
- prevent trafficking of minor girls into flesh trade in Delhi;
- extend better health facilities to sex workers and check AIDS and sexually transmitted diseases,
- to protect human rights of sex workers,
- to safeguard against extortion and violence,
- to provide better health, education, boarding and lodging facilities for the children of sex workers,
- to facilitate speedy repatriation, restoration and rehabilitation of rescued minor girls
- to make available incentives, vocational training as alternative source of income,
- to grant loans and pensions to old and retired sex workers,

Dr. (Smt) Kiran Walia) participated in the debate.

The Minister of Social Welfare replied.
The Motion was put to vote and adopted.

4.19 PM The House adjourned for tea break

4.53 PM The House reassembled

5 **Resolution regarding constitution of House Committee:**

The Chief Minister moved the following resolution:

"this House recommends the formation of a seven Member House Committee to ascertain the ground realities and to suggest measures for dealing with the long pending issues related to allotment of residential plots/agriculture land under 20 Point Programme, conferment of the title/rights in respect thereof and protection of such rights during the process of acquisition of land and consolidation of land; vesting of land under Section 81 of the Delhi Land Reform Act, consolidation of land holdings in Delhi including extension of Abadi/Lal Dora and other related issues."

The resolution was put to vote and adopted unanimously.
The Minister of Development assured to supply the terms of reference for the proposed Committee.

Short Duration Discussion:

6 4.55 Shri Shishpal initiated discussion on the functioning of the Delhi Development Authority.

The following Members participated in the discussion:

1. Shri Kanwar Karan Singh
2. Shri Nand Kishore Garg
3. Shri Roop Chand
4. Shri Radhey Shyam Khanna
5. Shri Sushil Choudhery
6. Shri Naseeb Singh
7. Shri Amrish Singh Gautam
8. Shri Sahab Singh Chauhan

The Minister of Urban Development replied and moved the following resolution:

"This House recommends that the Delhi Development Authority be transferred to Delhi Government with immediate effect."

Shri Nand Kishore Garg moved the following amendment:

"to add the words, 'after giving full statehood to Delhi' after 'this House recommends'.

The amendment was put to vote and negated.

The resolution as moved by the Minister of Development was put to vote and adopted unanimously.

6.22 PM **The House adjourned up to 2.00 PM of 19th July'2002.**

18th July'2002
Delhi

SK Sharma
SECRETARY